

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 609 जयपुर/2006-07

यह प्रमाणित किया जाता है कि एचुफेरानल उल्चर
सोसायटी जिला जयपुर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय को सोल से आज
दिनांक ५ नाह १३ मार्च सन् दो हजार ८८
को जयपुर में किया गया।

(प्रह्लाद जापरिया)

रजिस्ट्रीकरण संस्कारण
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिंगिटेड, जयपुर-१ © 2374969 2751352

2751417

P.K.
S.M.P.
PRESIDENT
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY (REGD.)

3/585, Pradhan Marg, Malviya Nagar,
Jaipur (RAJ.) - 302 017
Ph/Fax : 0141-2521639, Mob : 94140-74670


Ref. No. :


Dated

नवीन कार्यकारिणी
(2017-19)

क्रम संख्या	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	संख्या
1	पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री के०एल० गुप्ता	नौकरी	124/8, अग्रवाल, फार्म मानसरोवर, जयपुर के दिनांक १२/११/२०१७	अधिकारी है।
2	श्रीमती डॉ० ललिता पवन पुत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा	नौकरी	3/585, प्रधान मंडी, रमेशबाबू नगर, जयपुर के हस्ताक्षर	मंत्री
3	श्री गिरज दिंह पुत्र श्री नत्यी लाल	नौकरी	170/64, प्रताप नगर, सांगानेर, राजेस्थान के जयपुर	जारी संख्या
4	श्री विष्णुदत्त शर्मा पुत्र श्री ओ०पी० शर्मा	व्यापार	80/394, मानसरोवर, जयपुर,	सदस्य
5	श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	नौकरी	80/426, प्रताप नगर, जयपुर	सदस्य
6	श्रीमती सुनिता हंगलू पुत्री श्री माखन लाल टैना	गृहणी	2-बी, लवण मार्ग, झालाना झूंगरी, जयपुर	सदस्य
7	श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता	व्यापार	123/157, मानसरोवर, जयपुर	सदस्य
8	श्री बद्री प्रसाद मीणा पुत्र श्री बल्लू राम मीणा	नौकरी	72/17 सी, कागड़ीवाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर	सदस्य
9	श्री मोहन लाल आमेरिया पुत्र श्री कन्हैया लाल	व्यापार	2-जगदीश विहार, जगतपुरा, जयपुर	सदस्य
10	श्रीमती अल्का पारीक पुत्री श्री के०सी० पारीक	नौकरी	127-शिव कॉलोनी, टॉक फाटक, जयपुर	सदस्य
11	श्री हरिकृष्ण जांगिड़ पुत्र श्री सुखराम जांगिड़	व्यापार	18-राधाकिशन कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर	सदस्य


PRESIDENT
EDUCATIONALCULTURE SOCIETY


Secretary
Educational Culture Society


Treasurer
Educational Culture Society


PRESIDENT
EDUCATIONALCULTURE SOCIETY

EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY (REGD.)

3/585 Pradhan Marg, Malviya Nagar,
Jaipur (RAJ.)-302017
Ph/Fax: 0141-2521639, Mob: 941407

Ref No.

Dated 2 जून 2011

तुलनात्मक स्टेटमेंट

क्र. सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम (पुराना पता)	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया पता)
1.	1958 की धारा 4 वं 12 धारा छंतव्य 2 (दो)	3/571, प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर	3/585 प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर

अध्यक्ष

(पवन कुमार गुप्ता)



Lalita Patel

राम मन्त्री
डॉ (श्रीमति) ललिता पवन 1958

M.S.

कामाधप्ता
(समीर हंगल)

राम संस्था
पृष्ठे जो
तक है 35
1 नकल है
2 नकल तैयार है
वाले के हस्ताक्षर 07-06-2011
बानी

रजिस्ट्रेशन बोर्ड
जयपुर


PRESIDENT
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY (REGD.) ८३


नवीन कार्यकारिणी

२०१२-१३


क्र. संख्या	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पर्याप्ति	पद
1.	पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री केंटलॉगुप्ता	नीकरी	१११ / न. प्रयाल काम भानसरोवर, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती ललिता पवन पुत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा	नीकरी / व्यवसाय	१२५. प्रगत मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।	मन्त्री
3.	समीर हंगलू पुत्र श्री डी०एन०हंगलू	नीकरी	१३६ लतण मार्ग, आलाना झगड़ी, जयपुर।	कोषाध्यक्ष
4.	श्री विष्णु दत्त शर्मा पुत्र श्री ओ०पी०शर्मा	व्यापार	१४० / ३९४ गानसरोवर, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री बाबू लाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	नीकरी	१४१ / ४२६ प्रताप नगर, जयपुर।	सदस्य
6.	श्रीमती सुनीता हंगलू पुत्री श्री माखन लाल रेना	गृहजी	१४२ लवण मार्ग, आलाना झगड़ी, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता	व्यापार	१४३ / १५७ गानसरोवर, जयपुर।	सदस्य
8.	डॉ०एस०पी०भिंह पुत्र श्री नरेतन सिंह	डॉक्टर	१४४ / ११३७ मालवीय नगर, जयपुर।	सदस्य
9.	श्री मोहन लाल आमेरिया पुत्र श्री कन्हैया लाल	व्यापार	१४५ जगदीश विहार, जगतपुरा, जयपुर।	सदस्य
10.	श्रीमती अल्का परीक पुत्री श्री कै०सी०परीक	नीकरी	१४६ - शिव कौलीनी टोक काटक, जयपुर	सदस्य
11.	श्री हरि कृष्ण जांगिड पुत्र श्री सुखराम जांगिड	व्यापार	१४७ - राधा किशन कौलीनी जगतपुरा, जयपुर।	सदस्य


President
 Educational Culture Society


PRESIDENT
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY
Secretary
 Educational Culture Society


Treasurer
 Educational Culture Society

दिनांक 1955


Treasurer
 Educational Culture Society

१४१

१४२

१४३

१४४

१४५

१४६

१४७

5-2-13

फैसला

१ नवीन कार्यकारिणी
२ नवीन कार्यकारिणी

EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY (REGD.)

3/571 Pradhan Marg, Malviya Nagar,
Jaipur (RAJ)-302017
Ph/Fax: 0141-2521639, Mob: 9414074670

No.....

Dated.....

नवीन कार्यकारिणी 2010 - 11

क्र. संख्या	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री को०एल०गुप्ता	नौकरी	124/8 अग्रवाल फॉर्म, मानसरोवर, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती ललिता पवन पुत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा	नौकरी / व्यवसाय	3/571, प्रधान मार्ग, मालदीय नगर, जयपुर।	मंत्री
3.	समीर हंगल पुत्र श्री डी०एन०हंगल	नौकरी	2-वी लवण मार्ग, झालाना ढूँगरी, जयपुर।	कोषधायक
4.	श्री विष्णु दत्त शर्मा पुत्र श्री ओ०पी०शर्मा	व्यापार	80/394 मानसरोवर, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री बाबू लाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	नौकरी	80/426 प्रताप नगर, जयपुर।	सदस्य
6.	श्रीमती सुनीता हंगल पुत्री श्री माखन लाल रेना	गृहणी	2-वी लवण मार्ग, झालाना ढूँगरी, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता	व्यापार	123/157, मानसरोवर, जयपुर।	सदस्य
8.	डॉ०एस०भी०सिंह पुत्र श्री नरेतन सिंह	डॉक्टर	1/1197, मालदीय नगर, जयपुर।	सदस्य
9.	श्री मोहन लाल आमेरिया पुत्र श्री कन्हैया लाल	व्यापार	2- जगदीश विहार, जगतपुर। जयपुर।	सदस्य
10.	श्रीमती अल्का पारीक पुत्री श्री के०री०पारीक	नौकरी	27 - शिव कॉलोनी, टोक फाटक, जयपुर	सदस्य
11.	श्री हरि कृष्ण जांगिड पुत्र श्री सुखराम जांगिड	व्यापार इ.	18- राधा किशन कॉलोनी जगतपुरा, जयपुर।	सदस्य

Raj. संख्या १
प्रमाणित यह प्रमाणित है कि यह Educational Culture Society
Educational Culture Society
विषय में कोई विवाद नहीं है एवं यह प्रमाणित है कि जो

पृष्ठ सं. - रु. २६
तक है, कोई तल्ली नहीं।

1 नकल 1 03-08-2010

2 नकल दैयु, 1

वाले के हस्ताक्षर वाले

Secretary
Educational Culture Society

Treasurer
Educational Culture Society

PRESIDENT
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

राजस्थान भूमध्य
जयपुर

८/८८



आवेदन प्रपत्र



मुद्रक एवं विक्रेता:

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड
ग्री-1/130, मालवीय रोड, ऐमिया, जयपुर। फ़ोन: 2751352, 2751417

प्राप्ति स्थान:

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड
पोलोकिंग के पास, जयपुर। फ़ोन: 23/4969

ਹਮ ਨਿੱਜ ਹਾਸਤਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਟਾਪਿਗਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਿਤ ਸੰਭਾਵ

318

20

卷之三

इप्प उत्तमामा एक गहिरा स्वरूपित कला है जो विकृति के साथ के द्वारा बनायी जाती है। इसका अधिकारी निष्ठा विश्वास और विश्वास के लिए आवश्यक है। इसका उत्तम उद्देश्य यह है कि विश्वास के लिए विश्वास की जांच करना।

५८४

10

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करें।

1. उसकी दृष्टिकोणीय द्वारा संस्था के विभान में बैठक/उपस्थिति विशेष साधारण सभा में मान लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रालय में प्रस्तुत करें :-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं. का कोरम	विधान के अनुसार बैठक को कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पथ में नह दिया पथ में नह दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के पथ में नह दिया

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिक्रिया।
 4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में मान लेने के लिए जड़स्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
 5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
 6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से $2/3$ सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्मुचित की प्रमाणित प्रति।
 7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।
इस निम्नस्ताकरकता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन के संशोधन ने संस्था अधिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की घारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
 8. बुलनगल्टक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है :-
- | क्र.सं. | विधान की
घारा संख्या | पंजीकृत विधान
का नियम | विधान में संशोधित कैसा गया
नियम(नया नियम) |
|---------|-------------------------|--------------------------|--|
| 9. | | | |
| 10. | | | |

संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के दस्तावेयक प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हैं।

10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त दस्तावरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, जाथ ही मूलपंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

**विधान (नियमावली)
तथा
संघ-विधान पत्र**

फृप्त आवेदन करने से पूर्ण निम्न यातों का ध्यान रखें : -

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्रम के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सूचित पद संस्था के अनुरूप घटाये/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके बाये सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि क्रम से क्रम 7 सदस्यों ही संस्था पंजीकृत की जायेंगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
- धारा - 20
9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा राखेगा : - इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित पूर्ण प्रभेजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, 1(खादी और ग्रामोदय), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोत्रति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिये स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटि गं।
10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रक्रम राज. रा. अ. सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो काँपी/स्थाई निवास संबंधी प्रकाश-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाप पर उत्तर तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
1. राम. राज-पत्र। (शोधांक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।)

- आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्ण नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र के पृष्ठ 7, एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया होना चाहिये।
 14. ग्रम, मोहल्ला, कॉलोनी, निकास समितियाँ, नवयुवक परिषद् १५ पंजीयन हेतु भवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के ६० प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
 15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र शेवीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र ही तो उपयुक्त रहेगा।
 16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र ग्रामीण शाखा में प्रस्तुत की जावे।
 17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
 18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों तो उपयुक्त रहेगा।
 19. अन्य संस्थाये जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
- एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके दर्शे और उक्त दर्शों के बचे जो उस पर आधित हो चुके पति की विद्यवा भी जो पूर्ण रूपण आधित हो।
21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के ७ दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
 22. अधिसूचना क्रमांक प.४ (५) कृषि-४/सह./११ दिनांक २९.१.१९९८ द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क २५०/- रुपये के स्थान पर २५०/- रुपये निर्धारित करती है।
-

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम	इस संस्था का नाम <u>शैक्षणिक कल्याण समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व 3/571, पुष्पानन्द मार्ग, प्रगल्भा</u>
2. पंजीकृत कार्यालयः तथा कार्यालय	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय <u>जंचपुर</u> तथा इसका कार्यालय <u>जंचपुर</u>
3. संस्था के उद्देश्यः	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

EDUCATIONAL

1. समाज में साक्षरता दर, मूलगृह शिक्षा व वृद्ध शिक्षा बढ़ाने का प्रयत्न करना।
2. रंग, जाति, लिंग, धर्म, वर्ण का गंभीर किए विना सभी को लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का विकास, कार्यान्वयन करना।
3. आर्थिक रूप से कमज़ोर व समाज के उपेक्षित छात्रों के लिए विशेष सहायता को बढ़ावा देना।
4. सामाजिक पर्यावरण मित्रता के विकास के, लिए जागरूकता फैलाने को बढ़ावा तथा वालिका/महिला शिक्षा, गरीब व अनाथ बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
5. युवा, महिलाओं और बुजु़गों के लिए रखें सहायता आपार प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण।
6. जलरक्षणमंडो, गान्धीरिक व शारिरिक रूप से कमज़ोर व्यविधाओं के लिए आसरा, उत्तम शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण व प्रदान करना।
7. शैक्षिक केन्द्रों, समाजगृह एवं वाचनालयों को खोलना, निर्माण व विकास करना।
8. शैक्षिक नारीकालीन केन्द्रों, सत्त्वा आदान-प्रदान केन्द्रों तथा कंसियर सलाह बूरो की आयोजनाएँ विकास करना।
9. दुर्बल विद्युतीय जिलों व प्राचीन साधा व साहित्य का संवरण करने के लिए कार्यक्रम व ग्रोज़ेन्ट द्वारा सरचना व कार्यान्वयन करना।
10. प्राचीन एवं सिद्धार्थी मार्गों की निर्माणे के लिए शैक्षिक केन्द्रों को खोलना।
11. सभी को हिंदू/शारिरिक एवं छलनी/कूद की शिक्षा को बढ़ावा देना।
12. शिक्षा में महीन में विभिन्न क्रियाएँ के प्रयोग को बढ़ावा देना।
13. अनुसंधान एवं खोजेन्पूर्ण विद्यार्थी तथा शैक्षिक दर्शकों द्वारा उपर उल्लिखित तथा समाज में शिक्षा की दशा सुधारने के ग्रोज़ेन्ट को ग्राह्योजित करना।
14. गुरुकुल शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा प्रथा को बढ़ावा देना।
15. यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा की शिक्षा को बढ़ावा देना।
16. समाज पारम्परिक साहसिक खेलों को बढ़ावा देना।

15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

ललिता पवान

Lalita Pawan

मन्त्री

(4)

संस्थान का कार्यभार तंस्था के नियमानुसार एक कार्दकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
१.	पवन चूमार मुख्ला ५/० अधीक्षी अ० स्टेट गुप्ता	नैफरी	५/१२४, भृगुप्त स्ट्री, बैंगुड़ा, बंगुड़ा ज़िल्हा	अध्यक्ष
२.	अमित लक्ष्मी पद्मनाथ अमित उत्ती अधीक्षी अमेश प्रज्ञा शर्मा (भूर्बला)	नैफरी	३/५७१, पुष्टि अमीरपुराम, भालवीप नगर, झज्जुर	महान्‌ती
३.	समीर हंगल ५/० अधीक्षी डी० स्टेट हंगल	नैफरी	२-बी लक्ष्मा शर्मा कोशाल्य झज्जुर	
४.	पी. विक्क्या इल अधीक्षी ज्ञा. अधीक्षी लोगू अधीक्षी	पापार	४०१३१५, अनंतरांग, झज्जुर ज़िल्हा	
५.	पी. विक्क्या लाल अधीक्षी ज्ञा. अधीक्षी रामेश अधीक्षी	नैफरी (परा)	४०१४२६, कुरापानगर, झज्जुर - ३ पुरासह -	
६.	लक्ष्मी दुर्गा अधीक्षी ४०१८८८ लाल अधीक्षी	हृषीकेशी	२-बी- लक्ष्मा शर्मा, झज्जुर - ३० लद्दाख -	
७.	जी. दल्लीष्ठ अधीक्षी ४०१८८९ लाल अधीक्षी	पापार	१२३/१८७, आठदारी वर, झज्जुर - ३० लद्दाख -	
८.	४०१८८० विक्क्या अधीक्षी ज्ञा. अधीक्षी नोरेन्द्र अधीक्षी	नैफरी	१/११७, गाम्भीर तराई, झज्जुर - ३० लद्दाख -	
९.	लालकुमार अधीक्षी ज्ञा. अधीक्षी लाल अधीक्षी	पापार	२- लालकुमार अधीक्षी लाल अधीक्षी - ३० लद्दाख -	
१०.	लक्ष्मी अधीक्षी (लोकार्पा) ज्ञा. अधीक्षी लाल अधीक्षी	नैफरी (लोकार्पा)	१२७-प्रियमाला अधीक्षी लाल अधीक्षी - ३० लद्दाख -	
११.	लक्ष्मी अधीक्षी ज्ञा. अधीक्षी लाल अधीक्षी	पापार	१०- लालकुमार अधीक्षी लाल अधीक्षी - ३० लद्दाख -	

P-10
PRESIDENT
EDUCATIONALCULTURE SOCIETY

लक्ष्मी
पापा

Lalitabai

मही

(S)

Lalitabai

5. हम निन्हां हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निन्हां पालकर हैं। इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संघ
रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं. नाम व पता का नाम

संघ

पूर्ण पता

हस्ताक्षर

1. P.K. GUPTA, SHIKH GOSWAMI SERVICE 8/124, प्रभुदेव मन्दिर, JAI PUR, CHHAT
2. MRS LALITA DASRAJ SERVICE/PVT BUSINESS 3/571, मानियनगर, LALITA PUR, JAI PUR
3. SUMEER HANGLOO SERVICE 2-B-LAUN MARG, JAI PUR
4. VISHNU DUTT SHARMA BUSINESS 80/394, मानसरोवर, JAI PUR
5. DR. S.P. Singh Doctor 1/1197, Malviya Nagar, JAI PUR
6. BABULAL SHARMA PVT SERVICE 80/426, Pratap Nagar, JAI PUR
7. MRS SUNITA HANGLOO HOUSE WIFE 2B-LAUN MARG, JAI PUR, Sunita Singh
8. SANTOSH KUMAR GUPTA BUSINESS 123/137, ASARIAL FARM, JAI PUR
9. MOHAN LAL AMERIA BUSINESS 2-3AGDISH VIHAR, JAGATPUR, JAI PUR
10. MRS. ABRA PAREEK LECTURER/SERVICE 127-SHLV COLONY, TONK PHATAK, JAI PUR
11. HARI KISHAN JANGID BUSINESS 18-RADHA KISHAN COLONY, JAI PUR
12. KAMAL KISHOR DUA BUSINESS 55-NAND PURI, JAGATPUR, JAI PUR
13. SPANJ KUMAR SINGH SERVICE 172/25, PRATAP NAGAR, JAI PUR
14. Gopal Prasad SERVICE 176/64, PRATAP NAGAR, JAI PUR
15. BUDRI PRASAD MEENA SERVICE 72/17C-KANGDIWADA, BRAMMIN PURI-JAI PUR
- 16.
- 17.
- 18.

D.K.
Signature
31/12/81

Lalita Pawar
मन्त्री

(6)

J.W.
Signature

नाम व पिता का नाम

व्यवसाय

पूर्ण पता

हस्ताक्षर

3.



4.

5.

27.


28.

29.

30.

31.

32.



हम निन्हं हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने
अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के राजदूत नहीं हैं।

P.M. MeenaRajeev Maitra

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

Rajeev Maitra, Service
521586 Balaji Nagar

Jaipur

Address:

Nandan

उप केन्द्रीय प्रासंगिक एवं विज्ञान
सहायक योगसंघ व्यौद्धे,
(एड मन्डल) भारत सरकार
दिल्ली (राज.)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)(PRATHIAD NARAYAN MEENA)
Service, 2 B, Lavan Marg JaipurLalita Pawar

(7)

Udit

f. I.
Surjeet
PRESIDENT
EDUCATIONALCULTURE SOCIETY

विद्यान (नियमावली)

EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

1. संस्था का नाम :

इस संस्था का नाम समूहिक शिक्षा व विद्यालय समिति/सोसाइटी/संस्था है व रहेगा।2. पंजीकृत कार्यालय
तथा कार्यालयइस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 31571, पुष्पानन्द नगर, मासाधी अंडमान

3. संस्था के उद्देश्य :

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

EDUCATIONAL

1. समाज में साक्षरता दर मूलभूत शिक्षा व कृषि शिक्षा बढ़ाने का प्रयत्न करना।
2. रंग, जाति, लिंग, घर्म, वर्ण का भेदभाव किए बिना सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का विकास, कार्यान्वयन करना।
3. आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज के उपेक्षित छात्रों के लिए विशेष सहायता को देना।
4. सामुदायिक सम्बन्ध, मित्रता से विकास के लिए जागरूकता फैलाने को बढ़ावा देना।
5. तथा शिक्षिका / महिला शिक्षा, शिव्य व अनाथ बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
6. गुरु, माहिलाओं और बुजुण्डों के लिए स्वयं साहायता आदान-प्रदान केन्द्रों का निर्माण हो।
7. जलरोपण, मानविकी तथा शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए आसांरा, उत्तम शिक्षा एवं प्रशिक्षण जटिलताओं का निर्माण व प्रदान करना।
8. शिक्षिक केन्द्रों, रामायान एवं वाचनात्मकों को खोलना, निर्माण व विकास करना।
9. शिक्षिक मार्गदर्शन केन्द्रों, सुधना आदान-प्रदान केन्द्रों तथा कैरियर गलाह घूरों की आयोजना, निर्माण व विकास करना।
10. पुराने साहित्य पुस्तकों व प्राचीन भाषा के साहित्य का रखरखाव के लिए कार्यक्रम व प्रोजेक्ट की संरचना व कार्यान्वयन करना।
11. ग्रामीण एवं विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए शिक्षिक केन्द्रों को सोतना।
12. शिक्षा में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।
13. अनुसंधान एवं खोजपूर्ण विद्यार्थी तथा शक्तिक दर को ऊपर उठाने तथा समाज में शिक्षा की दशा सुधारने के प्रोजेक्ट को प्रायोजित करना।
14. गुरुकृत शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा प्रथा को बढ़ावा देना।
15. यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा की शिक्षा को बढ़ावा देना।
16. रामायान पारम्परिक साहिसिक खेलों को बढ़ावा देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

Latika Pawar

मन्त्री

(8)

10. साधारण सभा की बैठकें

- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कर्ती भी बुलाई जा सकेगी।
- 2- साधारण सभा नी बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक के सूचना / दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायगी।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक रथगति की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित इतान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी संघर्षित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होती लेकिन निजातार्थी नहीं होती जो पूर्व एजेंटों ने दे :
- 5- संस्था के 1/3 अध्यक्ष 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदग्रा-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

12. कार्यकारिणी का निवाचन

संस्था की प्रबन्धकारिणी में नीने वाले अधिकारी के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/नियुक्ति करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का नियरण करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को ग्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

Lalita Pawar

मन्त्री

(10)

P.10
Smt. Lalita Pawar
PRESIDENT
EDUCATIONALCULTURE SOCIETY

संदर्भों

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकते :-

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में विवाह करते हों।
2. बालिंग हों।
3. पापल, इमोलिसें न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

सदस्यों का
वर्गीकरण

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होते :-

- | | |
|---------------|-------------|
| 1 - संरक्षक | 2 - विशिष्ट |
| 3 - सम्माननीय | 4 - साधारण |
- (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

5. सदस्यों द्वारा प्रदत्त
शुल्क व चन्दा

उपनियन संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होता :-

- | | | |
|---------------|------------|---------------|
| 1 - संरक्षक | राशि..... | वार्षिक/आजन्म |
| 2 - विशिष्ट | राशि..... | वार्षिक/आजन्म |
| 3 - सम्माननीय | राशि..... | वार्षिक |
| 4 - साधारण | राशि 2.5/- | वार्षिक |

उक्त संधि एक मुश्त अथवा रु. 3/- की नापिक दरमें लागू कराई जा सकती।

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकता :-

7. विषय से
विषय

- 1 - मृत्यु होने पर
- 2 - त्याग पत्र देने पर
- 3 - संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4 - प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर


8. साधारण सभा

संस्था के उपनियन संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य निम्न प्रकार साधारण सभा का निर्वाचन करते हैं।

9. साधारण सभा के
अधिकार और
कर्तव्य


- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होते हैं।
 - 1 - प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
 - 2 - वार्षिक बजट पारित करना।
 - 3 - प्रबन्धकारिणी की मरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।
 - 4 - संस्था के कुल सदस्यों के 2/3rd परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जावान प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होता।)



प्रकाश कुमार पौड़ा

Lalit Paudan
मन्त्री



ललित पौड़ा

14. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी कुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की तिथि - निम्न: 7 दिन दूर्वा दी पत्रिका। या अतः बैठक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणाये विशेष वहो होंगे, जो पूर्व एजेंडा में थे। ऐसी स्थगित बैठक से उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :
- संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष

- 1-बैठक का आहूत करना।
 2-मत जारी करने पर नियायिक मत देना।
 3-बैठके आहूत करना।
 4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
 5-संविदा तथा भूत्या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2- उपाध्यक्ष :

- 1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
 2-प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मन्त्री :

- 1-बैठके आहूत करना।
 2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
 3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
 4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके बेतन या यात्रा विल आदि पास करना।
 5-संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
 6-पत्र व्यवहार करना।
 7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

4- उपमंत्री :

- 1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
 2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जायें।

Lalitha Patil
मन्त्री

(II)

P.C. Gupta
PRESIDENT
INDIA NATIONAL CULTURE SOCIETY

Vishwanath

- ५०। नं। ४८। वर्ष।
१. नाम : प्रभु गोप्ता। वर्ष १९५८ की वार्षिकता।
 २. दर्जना :
 ३. वर्ष : मूल ग्राही
 ४. दर्जना : जारीका लेखा - जोखा देखार करना।
 ५. दिनांक : १२. ०६. २०१८। दैनिक नेतृत्व पर नियन्त्रण रखना।
 ६. इत्तमार रूप : बन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- ४ - अन्य प्रदत्त कार्य सम्पत्र करना।


१६. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

- १ - बन्दा
- २ - शुल्क
- ३ - अनुदान
- ४ - सहायता
- ५ - राजकीय अनुदान
- ६ - उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सङ्कारी ईक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- ७ - अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से ईक से लेन-देन संभव होगा।

१७. कोष सम्बन्धी

विधेयाधिकार

: संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की संभाल मूलत स्थिरत वर सकें।



उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की

नियमित प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

१८. संस्था का अंकेक्षण

: संस्था के समस्त लेखों जोखों का गार्फिक अंकेक्षण करवा जादेगा।

१९. संस्था का विधान

में परिवर्तन

: संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 तक हमत व परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

२०. संस्था का विघटन

: यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त घल व अचल सम्पत्ति उन उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित वर दी जायेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्था संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की पारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

२१. संस्था के लेखे जोखे

का निरीक्षण

: रजिस्ट्रार संस्थाएं ५१९५ को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण / जांच व का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली)

समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सची प्रक्रिया

अध्यक्ष

मन्त्री

पूर्ण

नियंत्रित प्रबन्धकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था

के संशोधना करते हैं कि :-

1. हमारी संस्था का पंजीयन दिनांक है।
2. संस्था में बर्तनान में कुल सदस्य है।
3. संस्था की आमसभा दिनांक को सम्पत्र हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का नियंत्रित दिनांक को हुआ। नियंत्रित कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के नियंत्रित एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य इन्हीं प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु वाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के नियंत्रित दिनांक की सूचना का नोटिस दिनांक को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त विन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के नियंत्रित किसी प्रकार वा विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपर्युक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि विन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपर्युक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पंजीयन-रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

J. D.
PRESIDENT
EDUCATIONALCULTURE SOCIETY

40 वर्षों से
 मुद्रण के द्वेष में
 नये आयान
 स्थापित करती
 राजरथान
 की
 शीर्ष
 सहकारी
 रासंखा

राज्य सरकार के विभागों एवं सभी सहकारी संस्थाओं के मुद्रण के लिए अधिकृत
राजरथान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड
 जी-1/138, मालवीव इण्डस्ट्रीवल एरिया, जबपुर-302 017 फोन 2751352, 2751417

9414869669
954388723